

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी, एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0039 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 21/02/2025 13:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(e)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 07/12/2005 Date To (दिनांक तक): 12/01/2018
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:00 बजे Time To (समय तक): 10:00 बजे
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 21/02/2025 Time (समय): 12:00 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय): 21/02/2025 13:01:18 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 7 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) Address(पता): MAKAN NO 13 SHIV SHANKAR, COLONY MANSAROWAR, METRO STATION KE PASS JAIPUR
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAM GOPAL SHARMA

(b) Father's Name (पिता का नाम): DHANPAT LAL SHARMA

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1947

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	D 6 MAHESH NAGAR, 80 FEET ROAD, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	D 6 MAHESH NAGAR, 80 FEET ROAD, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):



7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAGHUVeer PRASAD SHARMA		पिता: DEVISAHAY SHARMA	1. HAAL PRADHANADHYAPAK, RAJKIYA VARISHTH UPADHYAY, SANSKRIT VIDHYLAY MANSAROWAR, MERA MARG JAIPUR DISTRICT, JAIPUR CITY

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध	1674556 रुपये वैद्य आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की गई।	16,74,556.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 16,74,556.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

महोदय, हालात इस प्रकार है कि ब्यूरो मुख्यालय के पत्रांक 807 दिनांक 12.01.18 द्वारा परिवाद संख्या 12/2018 दिनांक 12.01.2018 सत्यापन हेतु प्राप्त हुआ। जिस पर जांच प्रारम्भ की गई। दौरान सत्यापन एसओ के पिता श्री देवीसहाय शर्मा पुत्र स्व० श्री रामनारायण शर्मा ने बताया कि मैंने वर्ष 1973 में एलएलबी करने के पश्चात् एसडीएम मालपुरा में वकालत करना प्रारम्भ कर दिया था। मेरे तीन बेटे व एक पुत्री को अध्ययन कराने के पश्चात् समय-समय पर उनके विवाह कर दिये थे। मुझे वकालत, कृषि व अन्य स्रोतों से होने वाली आय का उपयोग भूखण्ड एवं कृषि भूमि क्रय करने में व्यय किया था। जिससे आय के मध्यम स्तर के स्रोत होने पर मैंने मेरे पुत्रों को समय-समय पर आर्थिक मदद करना एवं पुत्र एवं पुत्रियों के व्यक्तिगत कार्यक्रमों में मेरी इच्छा अनुसार मदद की है जिसका मेरे पास कोई लेखिय साक्ष्य नहीं है। मेरे द्वारा रिहायसी आवास प्लॉट 11ए न्यू सांगानेर सोडाला रोड जयपुर वर्ष 2001 में निर्मित मकान क्रय किया था। उक्त मकान में मैं स्वयं एवं मेरा पुत्र रघुवीर प्रसाद रह रहा हूँ। इसके अतिरिक्त श्री रघुवीर प्रसाद के पिता द्वारा दु. न. 9, 10 रामनगर सोडाला में वर्ष 1993 में क्रय की तथा इस पर वर्ष 1994 में चार दुकाने बनवाई जिस पर 06 कमरे बनवाये तथा दु. न. 7, 8 रामनगर, सोडाला वर्ष 1995 में क्रय की जिस पर वर्ष 2004 में 07 कमरे तथा वर्ष 2016-17 में 03 कमरे बनवाये इस प्रकार कुल 16 कमरे निर्मित है। उक्त भवन के बटवारे/विभाजन में रघुवीर को दिया लेकिन कोई लिखा पढी नहीं होना बताया लेकिन किराया पत्रि प्राप्त होना भी बताया लेकिन इस संबंध में कोई विधिक आय संबंधित दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये, इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि प्लॉट न. 76 रामनगर तथा प्लॉट नं 16 वैक्टेस कॉलोनी सोडाला अपने पुत्रों रामचन्द्र एवं रघुनन्दन को दिये। इसके अति० ग्राम मौतीपुरा में तह० मालपुरा में कृषि भूमि का विभाजन कर तीनों पुत्रों को दिया लगभग दो-दो बीघा जमीन तथा स्वयं के लिए नो बीघा जमीन रखी है जिससे होने वाली आय एवं अनाज को आवश्यकता अनुसार तीनों पुत्रों एवं स्वयं के लिए उपयोग लेता हूँ। एसओ रघुवीर प्रसाद ने अपने अभ्यावेदन में बताया की मेरी पत्नी श्रीमती कामनी शर्मा ने अविवाहित समय में ही बीए करके वर्ष 2002 में विवाह के पश्चात उसे मेरे पिताजी की सम्पत्ति के हिस्से के किराये एवं ट्यूशन से 2005 से 2018 तक प्राप्त आय 20,26,870/-रूपये की आय हुई है। उक्त आय में से मेरी पत्नी द्वारा स्वयं के निजि स्त्री प्रसाधनों के खर्चों के अलावा अधिकतर राशि बचत से मेरी मदद की है। गांव की जमीन की खेती को बेचकर आय होना बताया लेकिन उपरोक्त की आय के संबंध में कोई विधिक दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है। श्री रघुवीर प्रसाद के पिताजी ने अपने पिताजी द्वारा रामनगर सोडाला में दुकान न. 09, 10 वर्ष 1983 तथा दुकान न. 07, 08 वर्ष 1995 में खरीदा जाना एवं कमरे बनवाया जाना तथा उक्त परिसर बटवारे में स्वयं को प्राप्त होना व उक्त भवन वर्तमान में भी श्री रघुवीर प्रसाद की माताजी के नाम होना बताया गया जो आईपीआर में भी अंकित होना तथा भवन का किराया माताजी व पत्रि को प्राप्त होना बताया है लेकिन किराये व अन्य आय संबंधित विधिक दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इससे होने वाली आय को शामिल नहीं किया गया। एसओ द्वारा श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा व्याख्याता स्कूल द्वारा उसके सेवाकाल (दिसम्बर 2005 से 2018) के दौरान अर्जित परिसम्पत्तियों व व्यय व आय का विवरण निम्न प्रकार है- 1. एसओ द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों व व्यय का कुल योग - 83,09,962 रुपये 2. एसओ द्वारा उसके सेवाकाल में अर्जित आय - 66,35,406 रुपये 3. एसओ द्वारा सेवाकाल के दौरान अर्जित परिसम्पत्तियां/व्यय के विरुद्ध अर्जित वैद्य आय का अन्तर (83,09,962 - 66,35,406 16,74,556 रूपये) आरोपित द्वारा सेवाकाल (दिसम्बर 2005 से जनवरी 2018) के दौरान अर्जित परिसम्पत्तियां व्यय - 1. भूखण्ड संख्या 5 ग्राम बोसला तह० मालपुरा जिला टोंक को श्रीमती रूपकलां निवासी

डोलाखेडा तह० मालपुरा से दिनांक 18.02.2014 को क्रय की गई। - 70000 रुपये 2. भूखण्ड संख्या 545 सेज जयपुर से दिनांक 03.02.2014 की क्रय राशि 5,00,000 तथा पंजीयन एवं स्टाम्प ड्यूटी सहित 31,530 कुल राशि 5,31,530 रुपये में क्रय की गई। - 5,31,530 रुपये 3. भूखण्ड संख्या 503 श्योसिंहपुरा तह० सांगानेर जयपुर को दिनांक 25.02.2016 को श्रीमती हेमलता सैनी निवासी शांतीनगर, अजमेर से 4,21,000 रुपये व पंजीयन शुल्क 23,040 रुपये सहित कुल राशि 4,44,040 रुपये में क्रय किया गया। - 4,44,040 रुपये 4. भूखण्ड संख्या 502 श्योसिंहपुरा तह० सांगानेर जयपुर को दिनांक 25.02.2016 श्रीमती मधु सैनी निवासी शांतीनगर, अजमेर से 4,21,000 रुपये व पंजीयन 23,040 रुपये सहित कुल राशि 4,44,040 रुपये में क्रय किया गया। - 4,44,040 रुपये 5. भूखण्ड संख्या 214 गार्डन स्टेट महापुरा, जयपुर को दिनांक 10.04.2017 को श्रीमती मीनू राजपूत निवासी विवेक विहार न्यू सांगानेर, जयपुर से 11,75,000 रुपये पंजीयन शुल्क 68,450 रुपये सहित कुल राशि 12,43,450 रुपये में क्रय किया गया। - 12,43,450 रुपये 6. उल्लेखित सेवाकाल के दौरान दिसम्बर 2005 से वर्ष 2018 तक एसओ की सकल आय 51,72,023 रूपयें तथा 1,22,617 रुपये आयकर कटौतिया हुई है जो कुल राशि बाद आयकर कटौती 50,49,400 रुपये होती है जिसका असत्यापनीय एक तिहाई की गणना 16,83,135 रुपये होती है। -16,83,125 रुपये 7. एसओ के रिहायशी आवास प्लॉट न. 11ए न्यू सांगानेर सोडाला रोड जयपुर पथिक भवन निर्माण सहकारी समिति, जयपुर का जारी पट्टा दिनांक 29.11.2001 को एसओ के सेवाकाल (दिसम्बर 2005) से पूर्व पिता द्वारा क्रय किया गया है। गृ.नि.स.स. का पट्टा दिनांक 02.11.2001 को श्री रघुवीर प्रसाद को स्थानान्तरण हुआ है जिसकी सदस्यता रसीद 2828/ रुपये की काटी गई है। अतः उक्त सम्पत्ति एसओ की पैतृक होने के कारण सम्पत्ति मद में गणना नहीं की जाकर सदस्यता राशि 2828/रुपये की गणना की गई है। -2828 रुपये. 8. एसओ के रिहायशी आवास प्लॉट नं. 13 स्कीम नं 11ए न्यू सांगानेर सोडाला रोड जयपुर पर विद्युत उपभोग के बिल का भुगतान एसओ के पिता श्री देवीसहाय शर्मा ने अपने कथनों में स्वयं द्वारा करना बताया है जिसका प्रतिस्थापन/हस्तान्तरण का जेडीए द्वारा पत्र भी जारी हुआ है उक्त भूखण्ड क्रय राशि की गणना एसओ के व्यय मद में नहीं की गई है लेकिन वर्ष 2007 में एसओ द्वारा उक्त भूखण्ड पर दिनांक 30.04.2007 को डीएचएफएल (दीवान हाउसिंग फाईनेन्स लि.) (एसओ द्वारा प्रस्तुत स्टेटमेंट प्रति) से 4 लाख रुपये तथा 28.05.2007 को 1 लाख रुपये अर्थात् कुल 5 लाख रुपये का मकान रिनोवेशन/कन्सट्रक्शन/हाउसिंग लोन स्वीकृत करवाया जो दिनांक 10.07.2011 को पूर्ण रूप से मय ब्याज 2,22,305 रुपये अर्थात् कुल व्यय राशि 7,22,305 रूपयें एसओ द्वारा चुकाये गये, जिसकी गणना एसओ की परिसम्पत्ति/खर्चों में की गई है। -7,22,305 रुपये 9. एसओ श्री रघुवीर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के सत्यापन के दौरान स्वयं के एक पुत्र होना बताया जो वर्ष 2018 में 8वीं कक्षा में सेंट जेवियर स्कूल नेबटा से प्रारम्भ से अध्ययनरत रहा है जिसके अध्ययन पर व्यय की गई अनुमानित 40,000 रुपये सालाना शिक्षण पर व्यय होना कथन किया है लेकिन एसओ के पुत्र के अध्ययन पर व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं अतः एसओ के पुत्र भूवन्धू के अध्ययन पर व्यय की गई कुल राशि 3,20,000/- रुपये की गणना एसओ के व्यय मद में की जाती है। - 3,20,000 रुपये 10. एसओ द्वारा मई 2010 में क्रय की गई फोर्ड फिगो कार के संचालन एवं रख रखाव पर प्रतिमाह 3000 हजार रुपये की गणना व्यय मद में मानने के हिसाब से 2,40,000/- रुपये की गणना की गई है। - 2,40,000 रुपये 11. एसओ श्री रघुवीर प्रसाद के नाम एसबीआई बैंक श्यामनगर जयपुर में खाता नं 61013283150 में दिनांक 25.03.2017 को बैलेंस राशि 5,72,118/- रुपये की गणना एसओ के सम्पत्ति मद में की गई है। - 5,72,118 रुपये 12. एसओ श्री रघुवीर प्रसाद के नाम बैंक ऑफ बडोदा शाखा सेक्टर 6 मानसरोवर जयपुर में खाता सं. 24590100006559 में दिनांक 04.01.2018 को बैलेंस राशि 8712/-रुपये की गणना एसओ के सम्पत्ति मद में की गई है। - 8712 रुपये 13. एसओ श्री रघुवीर प्रसाद की पत्नी श्रीमती कामनी शर्मा के नाम एसबीआई बैंक शाखा न्यू सांगानेर जयपुर में खाता सं. 20057001419 में दिनांक 25.12.2017 को बैलेंस राशि 7659 रुपये की गणना एसओ के सम्पत्ति मद में की गई है - 7659 रुपये 14. गाडी संख्या आरजे 14-सीए-9923 एसओ द्वारा दिनांक 28.05.2010 को राशि 5,65,000/-रुपये में खरीदी जिसका इनवोइस प्रस्तुत किया तथा इस पर 3,25,000/- रुपये का दिनांक 27.05.2010 को एसबीआई, न्यू आतिश मार्केट जयपुर से लोन लेकर तथा शेष राशि 1,83,350/ रुपये नगद देकर क्रय की गई थी उक्त ऋण पर दिनांक 27.05.2010 से 16.03.2016 तक 1,30,280/-रुपये ब्याज राशि भी दी गई है। अतः कुल (परिसम्पत्ति/व्यय) 10,20,280/- रुपये की गणना एसओ के सम्पत्ति मद में की गई है। - 10,20,280/- रुपये 15. एसओ द्वारा प्रस्तुत यूको बैंक होम लोन स्टेटमेंट की प्रति एवं दी गई जानकारी अनुसार एसओ द्वारा प्लॉट नम्बर 1109 गुरु शिखर शेखावाटी हरमाडा सीकर रोड जयपुर हेतु दिनांक 09.12.2013 को 21 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करवाया तथा 18 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया जिसकी किश्त प्रतिमाह 20545 थी विवाद होने पर भूखण्ड की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई, लोन की किश्त जमा करवाना बंद कर दिया गया तथा लोन एनपी हो गया इस प्रकार एसओ द्वारा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक इस प्लॉट पर मूल तथा ब्याज कुल योग 9,99,865 रुपये व्यय किये गये अतः कुल व्यय (परिसम्पत्ति/खर्च) 9,99,865/- रुपये की गणना एसओ के सम्पत्ति मद में की गई है। (अतः उपरोक्त अर्जित परिसम्पत्तियों व व्यय का कुल योग - 83,09,962 रुपये) एसओ द्वारा उसके सेवाकाल (दिसम्बर 2005 से जनवरी 2018) में अर्जित आय- 1. सेवाकाल के दौरान संबंधित जीए-55 एवं आयकर विवरणिका के अनुसार शुद्ध वेतन के रूप में हुई आय 50,49,406

रूपये 2. भूखण्ड संख्या 54, महादेव कॉलोनी, रेलवे लाईन के पास, सांगानेर, जयपुर को दिनांक 17.01.2011 को जरिये विक्रय पत्र श्री रामवतार शर्मा निवासी हरिपुरा जिला टोंक को विक्रय किये जाने से हुई आय नोट- उक्त राशि भूखण्डों के बेचान रजिस्ट्री की फेस वैल्यू/अंकित मालियत/ विक्रय पत्र के आधार पर ली गई है जिसे नगद प्राप्त किया जाना अंकित है तथा एसओ द्वारा भी नगद प्राप्त किये जाने से अवगत कराया गया है।- 2,10,000 रूपये 3. भूखण्ड संख्या 45, राजीव विहार-ए माग्यावास, जयपुर को दिनांक 27.01.2014 को जरिये विक्रय पत्र श्रीमती इन्दरा रानी अग्रवाल निवासी बीटी रोड मानसरोवर जयपुर को विक्रय किये जाने से हुए आय नोट उक्त राशि भूखण्डों के बेचान रजिस्ट्री की फेस वैल्यू अंकित मालियत/विक्रय पत्र के आधार पर ली गई है जिसे नगद प्राप्त किया जाना अंकित है तथा एसओ द्वारा भी नगद प्राप्त किये जाने से अवगत कराया गया है। - 9,00,000 रूपये 4. (बिन्दु संख्या 05) भूखण्ड संख्या 53, महादेव कॉलोनी, रेलवे लाईन के पास सांगानेर, जयपुर को दिनांक 01.07.2010 को जरिये विक्रय पत्र श्रीमती मनभर देवी निवासी लदाना तह० फागी जिला जयपुर को विक्रय किये जाने से हुई आय नोट- उक्त राशि भूखण्डों के बेचान रजिस्ट्री की फेस वैल्यू/अंकित मालियत/विक्रय पत्र के आधार पर ली गई है जिसे नगद प्राप्त किया जाना अंकित है तथा एसओ द्वारा भी नगद प्राप्त किये जाने से अवगत कराया गया है। - 1,51,000 रूपये 5. गाडी संख्या आरजे 14 सीए-9923 को क्रय करने पर दिनांक 27.05.2010 को एसबीओ, न्यू आतिस मार्केट, जयपुर से 3,25,000 रूपये का लोन लेकर क्रय की गई थी जिसका पुनर्भुगतान वर्ष 2015 तक पूर्ण हो चुका था। उक्त लोन 3,25,000 रूपये का भुगतान किया गया था। - 3,25,000 रूपये (अर्जित आय का कुल योग- 66,35,406 रूपये) इस प्रकार परिवार में आरोपित अधिकारी श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा द्वारा अपने सेवाकाल चैक अवधि दिसम्बर 2005 से जनवरी 2018 के दौरान अर्जित परिसम्पत्तियां एवं व्यय 83,09,962 रूपये में से अर्जित वैद्य आय 66,35,406 रूपये घटाने पर 16,74,556 रूपये की वैद्य आय से 25.23 प्रतिशत अधिक अर्जित होना पाया गया है। श्री रघुवीर प्रसाद के सेवाकाल में किये गये अन्य खर्च/व्यय/परिसम्पत्तियों/पुत्र पुत्रियां के शिक्षा पर खर्च /विदेश यात्रा, स्वयं के निवास स्थान पर किये गये निर्माण कार्य पर व्यय आदि भी जुड़ना अवश्यम्भावी है जो विस्तृत अनुसंधान से स्पष्ट होंगी। अतः परिवार में जांच सत्यापन पत्र उपलब्ध दस्तावेजात आदि से परिवार में उल्लेखित आरोप आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करता प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री देवी सहाय शर्मा जाति ब्राह्मण, उम्र 44 साल, निवासी मकान नं. 13. शिवशंकर कॉलोनी, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास, जयपुर, स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर हाल प्राध्यापक (प्रधानाचार्य) राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मानसरोवर मीरा मार्ग जयपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध घटित होना पाया जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवामें प्रेषित है। भवदीय (नीरज गुरनानी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर प्रथम जयपुर। कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 13(1)(ई) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आरोपी श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री देवीसहाय शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 44 साल निवासी मकान नम्बर 13 शिवशंकर कॉलोनी मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास जयपुर, स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर हाल प्राध्यापक (प्रधानाचार्य) राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, मानसरोवर मीरा मार्ग जयपुर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 357 पर अंकित है (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक- प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 197-200 दिनांक 21-2-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या 01 जयपुर, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जयपुर-द्वितीय, 3. विभागाध्यक्ष संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर। पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): ghyan prakash Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): naval (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan, IN
Date: 20/02/2025 11:18



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (ऊँचाई(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	03/10/1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)